इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 318] भोपाल, बुधवार, दिनांक 10 जुलाई 2013—आषाढ़ 19, शक 1935

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 10 जुलाई 2013

क्र. 15551-वि.स.-विधान-2013.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 64 के उपबंधों के पालन में, मध्यप्रदेश सार्वजनिक स्थान (धार्मिक भवन एवं गतिविधियों का विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013 (क्रमांक 21 सन् 2013) जो विधान सभा में दिनांक 10 जुलाई, 2013 को पुर:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २१ सन् २०१३

मध्यप्रदेश सार्वजनिक स्थान (धार्मिक भवन एवं गतिविधियों का विनियमन) संशोधन विधेयक, २०१३

मध्यप्रदेश सार्वजनिक स्थान (धार्मिक भवन एवं गतिविधियों का विनियमन) अधिनियम, २००१ को संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश सार्वजनिक स्थान (धार्मिक भवन एवं गतिविधियों का विनियमन) संशोधन अधिनियम, २०१३ है. **संक्षिप्त नाम.**

धारा ३ का संशोधन. २. मध्यप्रदेश सार्वजनिक स्थान (धार्मिक भवन एवं गतिविधियों का विनियमन) अधिनियम, २००१ (क्रमांक २९ सन् २००१) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ३ में, उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"(१) उन संरचनाओं को छोड़कर, जो कि २९ सितम्बर, २००९ के पूर्व परिनिर्मित की गई हैं और जो कि ऐसी रीति में, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, जहां हैं वहीं नियमितीकरण के योग्य हैं, कोई भी व्यक्ति, ऐसे किसी सार्वजनिक स्थान का—

(क) स्थायी धार्मिक स्थान के रूप में; अथवा

(ख) अस्थायी धार्मिक स्थान के रूप में, विहित रीति में कलक्टर से प्राप्त पूर्व लिखित अनुज्ञा के बिना,

उपयोग नहीं करेगा.".

धारा १३ का संशोधन. ३. मूल अधिनियम की धारा १३ में, उपधारा (२) में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(क) वह रीति जिसमें कि धारा ३ के अधीन धार्मिक संरचनाएं जहां हैं वहीं नियमितीकरण के योग्य हैं तथा धारा ३ की उपधारा (१) के खण्ड (ख) के अधीन अनुज्ञा प्राप्त करने की रीति;".

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विनिश्चित किया गया है कि ऐसी धार्मिक संरचनाओं को, जो कि २९ सितम्बर, २००९ के पूर्व शासकीय भूमि पर परिनिर्मित की गई हैं तथा सार्वजनिक प्रयोजन का कोई अहित नहीं कर रही हैं तथा जहां हैं वहीं नियमितीकरण के योग्य हैं, ऐसी रीति में जैसी कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, नियमित किया जाए. अतएव, मध्यप्रदेश सार्वजनिक स्थान (धार्मिक भवन एवं गतिविधियों का विनियमन) अधिनियम, २००१ (क्रमांक २९ सन् २००१) की धारा ३ तथा १३ में समुचित संशोधन प्रस्तावित हैं.

५. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :

तारीख : ६ जुलाई, २०१३

लक्ष्मीकांत शर्मा
भारसाधक सदस्य.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित मध्यप्रदेश सार्वजनिक स्थान (धार्मिक भवन एवं गतिविधियों का विनियमन) संशोधन विधेयक, २०१३ के खण्ड ३ द्वारा धार्मिक संरचनाओं के नियमितीकरण एवं उनकी अनुज्ञा प्राप्त करने की रीति के संबंध में नियम बनाये जायेंगे, जो सामान्य स्वरूप के होंगे.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.